न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपत सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु. नं. - 1/12/2022	नम्बर व अहकाम हुक्म, की में जारी
11.01.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जां चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 11/01/24 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0</u>
<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
113/2022	2022/264	24.08.2022	11.01.2024

उनवान प्रकरण

नरपतसिंह पुत्र स्व. देवीसिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मोबाईल नम्बर 9950726252

––वादी––

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. पटवारी हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

––प्रतिवादीगण––

उपस्थित :–

1. श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधि. 1955)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 304 रकबा 1 बीद्या 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 1 बीद्या 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 3 बीद्या 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 309 रकबा 2 बीद्या 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 2 बीद्या 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 9 बीद्या 15 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीद्या 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 124 रकबा 3.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 2.8000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.8300 हैक्टर अवस्थित ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमियो का राजस्व रिकार्ड पुरानी जमाबंदी संवत 2008 से 2027 में निम्न प्रकार अंकित है :– नाथूसिंह वल्द भादरसिंह हिस्सा चार आना अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा व दुर्जन सालसिंह वल्द अजीतसिंह हिस्सा चार आना अर्थात सम्पूर्ण भूमियो में 1/4 हिस्सा, भंवरसिंह, उगमसिंह, सुगनसिंह, बच्चनसिंह, घीसूसिंह पुत्रगण प्रभूदानसिंह हिस्सा बराबर 4 आना 2 पैसा 2 पाई तथा कानसिंह, [illegible] पुत्रगण श्योनाथसिंह हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बराबर हिस्सा 5 आना 1 पैसा 1 पाई तथा मांगूसिंह पुत्र धौंकलसिंह हिस्सा 1 आना 2 पैसा तथा सलाब कंवर बेवा लादूसिंह 2 आना 2 पैसा 2 पाई भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह हिस्सा 2 आना 2 पैसा 2 पाई दर्ज हैं। उक्त राजस्व रिकार्ड कतई गलत दर्ज हैं जिसका कुल जोड़ 22 आना 9 पैसा 7 पाई बनता है, जिसका हिस्सा बनाने पर कुल हिस्सा 149/96 बनता है जो राजस्व रिकार्ड बेमेल हो जाता हैं, सही हिस्सा 96/96 होना चाहिये। राजस्व रिकार्ड सही रूप से सजरा अनुसार भी इस प्रकार होना चाहिये– नाथूसिंह पुत्र भादरसिंह 1/4 हिस्सा, दुर्जनसाल सिंह पुत्र अन्नेसिंह हिस्सा 1/4 जो सही दर्ज हैं तथा भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह हिस्सा 1/6 जो सही दर्ज है। भवंरसिंह पुत्र सांवतसिंह का 1/6 हिस्सा भंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह ने क्रय कर अपने 6 पुत्रो के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करवा दिया। जिनमें राजेन्द्रसिंह, केसरसिंह, कर्णसिंह, जीवणसिंह, दिनेशसिंह व अजीतसिंह के 1/6 हिस्सा दर हिस्सा बराबर सही दर्ज हो गया तथा राजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह की मृत्यु पर उसका विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान सम्पत कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह हिस्सा 35/3456, चन्द्रवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हिस्सा 35/3456 व देवेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह हिस्सा 35/3456 दर्ज हो गया व वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार दर्ज है जो गलत हैं। केसरसिंह पुत्र भंवरसिंह 20/720 हिस्सा व कर्णसिंह पुत्र भंवरसिंह 20/720 हिस्सा, जीवणसिंह पुत्र भंवरसिंह 20/720 हिस्सा, दिनेशसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 20/720 अजीतसिंह पुत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भंवरसिंह 20/720 हिस्सा तथा राजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह के वारिसान सम्पत कंवर बेवा राजेन्द्रसिंह 20/2160 हिस्सा, चन्द्रवीरसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह 20/2160, देवेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह 20/2160 हिस्सा होना चाहिये। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा पुराने गलत राजस्व रिकार्ड में सही हिस्सा निम्नानुसार दर्ज होना चाहिये था। नाथूसिंह पुत्र भादरसिंह हिस्सा 1/4, दुर्जनसालसिंह पुत्र अनेसिंह 1/4 हिस्सा, भंवरसिंह पुत्र सांवतसिंह हिस्सा 1/6, सलाब कंवर बेवा लादूसिंह हिस्सा 1/6, कानसिंह पुत्र श्योनाथसिंह हिस्सा 1/24, बालसिंह पुत्र श्योनाथसिंह हिस्सा 1/24, मांगूसिंह पुत्र धोकलसिंह हिस्सा 1/24, प्रभूदानसिंह हिस्सा 1/24 जो सही एंव वास्तविक रिकार्ड होता किन्तु राजस्व कर्मचारियो की गफलत व लापरवाही से उक्त गलत राजस्व रिकार्ड यथावत चला रहा व वर्तमान जमाबंदी में भी उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को तोड़ मरोड़कर हिस्सा बिठाते हुये निम्न प्रकार दर्ज किया गया है :-

अजीतसिंह पुत्र भंवरसिंह, कर्णसिंह पुत्र भंवरसिंह, केसरसिंह पुत्र भंवरसिंह, जीवणसिंह पुत्र भंवरसिंह, दिनेशसिंह पुत्र भंवरसिंह व अजीतसिंह पुत्र भवंरसिंह व राजेन्द्रदसिंह पुत्र भवंरसिंह प्रत्येक का हिस्सा 35/1152 दर्ज है जो सही है। वर्तमान जमाबन्दी में भी पुराने राजस्व रिकार्ड की गलती को दोहराते हुये प्रभूदानसिंह के वारिसान भंवरसिंह, [illegible] के प्रत्येक के नाम 5/192, 5/192 हिस्सा दर्ज [illegible] राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01.52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मे इस प्रकार दर्ज होना चाहिये- भंवरसिंह पुत्र प्रभुदानसिंह वगैरह का सम्पूर्ण मे 7/24 पुराने रिकार्ड मे होने से उक्त गलत रिकार्ड चल रहा है। जबकि वर्तमान जमाबंदी मे प्रभुदानसिंह के चारो लड़को नाम प्रत्येक के 1/96, 1/96 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। इस कारण इन खातेदारो का राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा दुरूस्तनीय है। इसी प्रकार कानसिंह पुत्र श्योनाथसिंह का 1/24 हिस्सा बनता है, किन्तु पुराने राजस्व रिकार्ड की गलती वर्तमान मे भी गलत राजस्व रिकार्ड दर्ज होकर कानसिंह पुत्र श्योनाथसिंह के नाम 5/48 हिस्सा दर्ज हैं जो दुरूस्तनीय हैं। इसी प्रकार बालसिंह पुत्र श्योनाथसिंह के नाम भी हिस्सा 1/24 दर्ज होना चाहिये था किन्तु पुराने राजस्व रिकार्ड की गलती से वर्तमान जमाबंदी में भी बालसिंह के पांच पुत्रो के नाम 1/48, 1/48 हिस्सा दर्ज है जबकि बालसिंह के पुत्र देवीसिंह ने अपने जीवनकाल में सलाब कंवर बेवा लादूसिंह का हिस्सा 1/6 हिस्सा क्रय कर लिया व इसी प्रकार मांगूसिंह पुत्र धोंकलसिंह का हिस्सा क्रय कर लिया। इस कारण मृत्तक देवीसिंह के नाम कुल हिस्सा बालसिंह से विरासत में प्राप्त हिस्सा 1/120 + 1/6 + 1/24 कुल हिस्सा 13/60 दर्ज होकर उसी अनुसार विरासत का खाता खोलना चाहिये किन्तु देवीसिंह के वारिसान के नाम वर्तमान जमाबंदी में गलत हिस्सा दर्ज होकर गलत राजस्व रिकार्ड चला आ रहा हैं। इसी प्रकार बालसिंह के अन्य पुत्रो नारायणसिंह, बजरंगसिंह, शिशपालसिंह, फूलसिंह के नाम भी वर्तमान जमाबंदी में सही हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक के 1/120 दर्ज होना चाहिये जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पुराने गलत राजस्व रिकार्ड से वर्तमान जमाबंदी में भी प्रत्येक के नाम 1/48, 1/48 हिस्सा दर्ज है जो दुरूस्तनीय है। पुराने राजस्व रिकार्ड में नाथूसिंह पुत्र भादरसिंह का हिस्सा 1/4 सही है। वर्तमान में उनके वारिसान श्री बक्ससिंह, अमरसिंह, सुण्डासिंह, मंगेजसिंह व दुर्जनसिंह के पुत्र छोटूसिंह है जिन्होने दुर्जनसिंह व नाथूसिंह के 1/2 हिस्सा को बराबर 5 हिस्सो में करके राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाया जिसके अनुसार खातेदार श्री बक्ससिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 1/10, व अमरसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 1/10 खातेदार श्री बक्ससिंह फौत हो गया जिनके वारिसान ने विरासत का खाता नही खुलवाया है। इस प्रकार खातेदार अमरसिंह पुत्र नाथूसिंह के फौत होने पर उसके वारिसान ने विरासत का खाता खुलवाया जिनका राजस्व रिकार्ड सही अंकित हैं तथा खातेदार छोटूसिंह पुत्र नाथूसिंह दत्तक पुत्र दुर्जनलालसिंह ने भी अपनी खातेदारी भाई बंटवारा अनुसार हिस्सा 1/10 सही दर्ज करवाया है। शेष खातेदार सुण्डासिंह व मंगेजसिंह पुत्र स्व. नाथूसिंह का हिस्सा भी 1/10, 1/10 हिस्सा सही दर्ज है तथा खातेदार राजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह की मृत्यु पर उसके वारिसान हिस्सा 1/6 में दर हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड सही दर्ज हैं तथा भंवरसिंह अन्य पुत्रो करणसिंह, केसरसिंह तथा खातेदार उगमसिंह, भंवरसिंह, सुगनसिंह, घीसूसिंह पुत्रगण प्रभूदानसिंह जो फोत हो चुके हैं। जिनका हिस्सा 1/24 बनता है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 5 [illegible] जो गलत होकर दुरूस्तनीय है। इसी प्रकार खातेदार देवीसिंह पुत्र बालसिंह का हिस्सा 1/120 विरासत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अनुसार व सलाब कवर बेवा लादूसिंह का हिस्सा जो खातेदार देवीसिंह ने क्रय किया वह हिस्सा 1/6 का मर्ज होने पर व खातेदार मांगूसिंह पुत्र धोकलसिंह का हिस्सा 1/24 क्रय करने पर खातेदार देवीसिंह पुत्र बालसिंह का सम्पूर्ण में 1/120+ 1/6+1/24 कुल 13/60 हिस्सा होना चाहिये किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृत्तक देवीसिंह पुत्र बालसिंह के वारिसान –ईचरज कंवर पुत्री 5/1344, ईश्वरसिंह पुत्र के नाम 5/1344, नरपतसिंह पुत्र 5/1344, भगवानसिंह पुत्र देवीसिंह पुत्र के नाम 5/1344 हिस्सा, महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह 5/1344 हिस्सा, मोहनकंवर बेवा देवीसिंह हिस्सा 5/1344 दर्ज है व सुरज्ञान कंवर पुत्री देवीसिंह के नाम 5/1344 हिस्सा दर्ज है जो गलत हैं। मृत्तक देवीसिंह पुत्र बालसिंह का हिस्सा जो 13/60 बनता हैं, के अनुसार विरासत के नामान्तकरण में हिस्सा 13/60 का 7 हिस्सा करने पर प्रत्येक वारिस के नाम हिस्सा 13/420 अंकित होना चाहिये। इसी प्रकार खातेदार कानसिंह, श्योनाथसिंह का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 5/48 दर्ज है जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कानसिंह पुत्र श्योनाथसिंह का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/24 दर्ज होना चाहिये। इसी प्रकार बालसिंह के वारिसान नारायणसिंह, देवीसिंह, फूलसिंह, शिशपालसिंह, बजंरगसिंह का हिस्सा सम्पूर्ण में 1/24 हिस्सा दर्ज होना चाहिये किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बालसिंह के प्रत्येक वारिस का 1/48, 1/48 दर्ज होकर गलत [illegible] हा हैं। उक्त हिस्सा प्रत्येक का 1/120, 1/120 होना आवश्यक है। इसी [illegible] वर्तमान राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (seal)

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रभूदानसिंह के वारिसान भंवरसिंह, उगमसिंह, सुगनसिंह, धीमुसिंह के नाम प्रत्येक का हिस्सा 5/192 दर्ज है जो गलत है उक्त खातेदारान का प्रत्येक का हिस्सा 1/96, 1/96 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिये। इस कारण भी रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी वादी को व उसके मृत्तक पिता देवीसिंह पुत्र बालसिंह को कभी नही हुयी क्योंकि उक्त लोग कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि में गावाई नाप से सन्तुष्ठ चले आ रहे थे किन्तु अब वादी ने अपने हिस्से की भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हहेतु पटवारी हल्का से नकल निकलवायी तब उसने हल्का पटवारी से अपने हिस्से में आने वाली भूमि का बीद्या में रकबा पता चला तब वादी ने सम्पूर्ण रिकार्ड निकलवाया तो पता चला कि यह राजस्व रिकार्ड प्रारम्भ से ही बेमेल व गलत चला आ रहा है तो उसने हल्का पटवारी से उक्त गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने में मजबूरी बतायी व न्यायालय आदेश से ही रिकार्ड दुरूस्ती की कही इस कारण भी वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी के मृत्तक पिता व अन्य खातेदारान का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की गफलत व लापरवाही से गलत चला आ रहा है तथा वादी के पिता मृत्तक देवीसिंह पुत्र बालसिह का हिस्सा पूर्व में व अब विरासत में भी गलत चला आ रहा है। इस कारण उक्त गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करना लाजिम आया है। वादकारण उक्त राजस्व [illegible] की नकले प्राप्त करने पर जानकारी होने व दिनांक 22.07.2022 [illegible] प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती हेतु स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न होकर लगातार बना हुआ है। वकील वादी ने दावा पेश कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि घोषणा इस आशय की पारित की जावे कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 304 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 309 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 124 रकबा 3.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 2.8000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.8300 हैक्टर अवस्थित ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान राज्य का राजस्व रिकार्ड में वर्णितानुसार दुरूस्त कर निम्न प्रकार राजस्व रिकार्ड सही दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है कि मृत्तक देवीसिंह पुत्र बालसिंह का हिस्सा जो सही 13/60 हिस्सा बनता है का उसके वारिसान ईचरज कंवर पुत्री देवीसिंह जिसका वर्तमान हिस्सा जमाबंदी में 5/1344 दर्ज है जो गलत हैं के स्थान पर उसको हिस्सा 13/420 हिस्सा की खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व नरपसिंह पुत्र देवीसिंह, भगवानसिंह पुत्र देवीसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह, मोहन कंवर ... सिंह पुत्र देवीसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीनकाथाना)

इन सभी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे हिस्सा 5/1344 दर्ज है के स्थान पर हिस्सा 13/420 अंकित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने तथा इसी प्रकार उमरावसिंह, घीसूसिंह, सुगनसिंह, भंवरसिंह पुत्रगण प्रभूदानसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 5/192, 5/192........गलत अंकित होने से उनके नाम भी प्रत्येक का हिस्सा 1/96, 1/96 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे क्योंकि पुराने रिकार्ड में इनका हिस्सा 1/24 ही बनता है। मृत्तक कानसिंह पुत्र श्योनाथसिंह के नाम वर्तमान में राजस्व रिकार्ड 5/48 दर्ज है जो गलत हैं। कानसिंह पुत्र श्योनाथसिंह का सही हिस्सा राजस्व रिकार्ड में 1/24 दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। इसी प्रकार मृत्तक खातेदार नारायणसिंह के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 1/48 दर्ज है जो गलत हैं। मृत्तक नारायणसिंह, बालसिंह का हिस्सा भी 1/120 दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे क्योंकि मृत्तक बालसिंह का 1/5 हिस्सा सही रूप से बनता है इसके 5 पुत्र क्रमशः नारायणसिंह देवीसिंह, बजरंगसिंह, शिशपालसिंह व फूलसिंह हुये इससे स्पष्ट है कि बालसिंह के सभी पुत्रो के नाम 1/120 हिस्सा, 1/120 दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड इस प्रकार दुरूस्त किया जाकर उनके वर्तमान में दर्ज 1/48 हिस्सा के स्थान बजरंगसिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/120 व फूलसिंह पुत्र बालसिंह का 1/120 हिस्सा सही रूप से दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर उनके नाम में दर्ज 1/48 हिस्सा के स्थान पर बजरंगसिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/120 व नारायणसिंह पुत्र बालसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हिस्सा 1/120 व देवीसिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/20 व शीशपाल पुत्र बालसिंह 1/120 हिस्सा व फूलसिंह पुत्र बालसिंह का 1/120 हिस्सा सही रूप से दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक देवीसिंह का विरासत का नामान्तकरण दर्ज होकर उसके वारिसान का हिस्सा जो वर्तमान में गलत दर्ज हैं का सही हिस्सा सहायता की मद नम्बर क में वर्णित किया जा चुका है। खातेदार केसरसिंह, कर्णसिंह, जीवणसिंह, दिनेशसिंह, अजीतसिंह पुत्रगण भंवरसिंह के हिस्से प्रत्येक के 7/120 हिस्सा दर्ज कर व मृतक राजेन्द्रसिंह के वर्तमान वारिसान सम्पत कवंर बेवा व पुत्र देवेन्द्र सिंह, चन्दवीर सिंह के प्रत्येक के 20/2160 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे एंव शेष खातेदारान का हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही अंकित होने से उनका हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार यथावत रहेगा। वादी ने यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन नोटिस के तलब किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को लिखा गया। [illegible] पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1062/भ.अ./23 दि. 21.09.2023 के द्वारा भू.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अभिलेख निरीक्षक वृत्त– मउ की जॉच रिपोर्ट को मूल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को भिजवाई गई है।

भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्तः– मउ ने अपनी वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया कि ग्राम पृथ्वीपुरा के नवीन खसरा नम्बर 124 रकबा 3.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 2.80 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 5.83 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 304 से 312 किता 9 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में बने हैं। उक्त खसरा नम्बरान की प्रथम बंदोबस्त संवत 2008 से 2027 में खातेदारी नाथू सिंह पुत्र भादर सिंह हिस्सा 1/4 दुर्जनसाल सिंह पुत्र अनी सिंह हिस्सा 1/4 भंवर सिंह, उगम सिंह, सुगन सिंह, बचन सिंह, घीसूसिंह पुत्र प्रभूदान सिंह हिस्सा 56/192 (चार आना दो पैसा एवं दो पाई) कानसिंह, बालसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हिस्सा (पांच आना एक पैसा एक पाई) अर्थात 64/192 = 1/3 मांगू सिंह पुत्र धोंकल सिंह, हिस्सा(एक आना दो पैसा) अर्थात 3/32 मु0 सलाब कंवर बेवा लादू सिंह हिस्सा (दो आना दो पैसा दो पाई) अर्थात 32/192 = 1/6 भंवर सिंह पुत्र सावंत सिंह हिस्सा (दो आना दो पैसा दो पाई) अर्थात 32/192 = 1/6 जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड थी अर्थात संपूर्ण का हिस्सा 148/96 बनता हैं। अर्थात उक्त खाते का हिस्सा प्रथम बंदोबस्त से ही गलत चला आ रहा है। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा बताए गए सजरा खानदान के अनुसार सही हिस्सा इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

होना चाहिए:- नाथूसिंह पुत्र भादर सिंह हिस्सा 1/4 दुर्जनसाल सिंह पुत्र अर्जुनसिंह हिस्सा 1/4 भंवर सिंह पुत्र सावंत सिंह हिस्सा 1/6 सलाब कंवर बेवा लादू सिंह हिस्सा 1/6 कान सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हिस्सा 1/24 बाल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हिस्सा 1/24 मांगू सिंह पुत्र धोकल सिंह हिस्सा 1/24 भंवर सिंह, उगम सिंह, सुगन सिंह, बचन सिंह, घीसू सिंह, पि0 प्रभूदान सिंह हिस्सा 1/24 होना चाहिए जो सही हिस्सा हैं। नये नामांतकरण संख्या 70 दिनांक 12.06.89 के द्वारा छोटू सिंह पुत्र दुर्जनसाल सिंह हिस्सा 1/4 के बजाय बक्ससिंह, अमर सिंह, सुण्डासिंह, मंगेजसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा 3/5 छोटू सिंह द0 पु0 दुर्जनशालसिंह हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 1/4 स्वीकृत हुआ तथा बक्स सिंह, अमरसिंह, सुण्डा सिंह, मंगेज सिंह पुत्र नाथूसिंह का हिस्सा 1/4 पूर्व से दर्ज था। अतः कुल हिस्सा बक्स सिंह, अमर सिंह, सूण्डा सिंह, मंगेज सिंह पुत्र नाथू सिंह हिस्सा 4/10 तथा छोटू सिंह द0 पु0 दुर्जनशाल सिंह हिस्सा 1/10 बना। पुराने नामंतकरण संख्या 245 दिनांक 27.08.72 के द्वारा बालसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह के बजाय विरासत से नारायण सिंह, देवी सिंह, बजरंग सिंह, शिशपाल सिंह, फूल सिंह पुत्र बाल सिंह के नाम स्वीकार हुआ। पुराने नामांतकरण संख्या 265 के द्वारा विरासत से नाथू सिंह के बजाय बक्स सिंह, अमर सिंह, सूण्डा सिंह, मंगेज सिंह पि0 नाथू सिंह के नाम स्वीकार हुआ तथा मांगू सिंह पुत्र धोकल सिंह के बजाय मु0 [illegible] कंवर बे[illegible] धोकल सिंह के नाम स्वीकार हुआ। नये नामान्तरण संख्या 541 दिनांक 20.03.2012 [illegible] विरासत से पारित धर्मपत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भंवर सिंह के बजाय सम्पत कंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, चन्द्रवीर सिंह पि० राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/6 केशर सिंह, करण सिंह, जीवण सिंह, अजीत सिंह, दिनेश सिंह पि० भंवर सिंह हिस्सा 5/6 दर हि० पोने तीन आना दो पाई कोम राजपूत के नाम स्वीकार हुआ। मौके पर उपस्थित खातेदारों द्वारा बताये अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ग्राम पृथ्वीपुरा के खसरा नम्बर 124 रकबा 3.03 हैक्टर खसरा नम्बर 297 रकबा 2.80 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 5.83 हैक्टर की खातेदारी निम्न प्रकार दर्ज किये जाने पर खाते का शुद्धि करण किया जाना अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित किया है:- अजीत सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/36, करण सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/36, केशर सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/36, जीवन सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/36, दिनेश सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/36, चन्द्रवीर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/108, देवेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/108, सम्पत कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह हिस्सा 1/108, अंजु कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/200, मनीषा कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/200, लक्ष्मी कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/200, विरेन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/200, संतोष कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/200, तेजसिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/40, श्रवण सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/40, सोहन सिंह पुत्र अमर सिंह हिस्सा 1/40, छोटू सिंह द० पु० [illegible] 1/10, [illegible]क्स सिंह पुत्र नाथू दुर्जनसाल सिंह 1/10 मंगेज सिंह पुत्र नाथू सिंह [illegible] कंवर पुत्री देवी सिंह हिस्सा 1/10, सूण्डा सिंह पुत्र नाथू सिंह हिस्सा [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

[illegible] हिस्सा 13/420, ईश्वर सिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 13/420, नरपत सिंह पुत्र देवी सिंह हिस्सा 13/420, भगवान सिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 13/420, महेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 13/420, मोहन कंवर पत्नी देवी सिंह हिस्सा 13/420, सुरज्ञान कंवर पुत्री देवीसिंह हिस्सा 13/420, नारायण सिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/120, फूल सिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/120, बजरंग सिंह पुत्र बालसिंह हिस्सा 1/120, किरण कंवर पुत्री शिशपाल सिंह हिस्सा 1/600, मनोहर कंवर पुत्री शिशपाल सिंह हिस्सा 1/600, सुरजीत सिंह पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा 1/600, सोहन कंवर पत्नि शिशपाल सिंह हिस्सा 1/600, जीवण सिंह पुत्र शिशपाल सिंह हिस्सा 1/600, कानसिंह पुत्र श्योनाथ सिंह हिस्सा 1/24, उगम सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह हिस्सा 1/96, घीसू सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह हिस्सा 1/96, भंवर सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह हिस्सा 1/96, सुगन सिंह पुत्र प्रभूदान सिंह हिस्सा 1/96 जाति राजपूत के नाम किया जाना उचित होने बाबत अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

वकील वादी ने वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस सुनाये जाने हेतु वकील वादी को स्वीकृति दी गई।

हमनें वकील वादी की बह[illegible]र्थ्य सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी की बहस पर [illegible] किया। पत्रावली व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

11/01/24
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम शौशाला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, भू–प्रबन्ध विभाग रिपोर्ट, भू–प्रबन्ध(सेटलमेन्ट) विभाग राजस्थान एवं खतौनी बंदोबस्त का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से राजस्व ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 304 रकबा 1 बीद्या 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 1 बीद्या 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 3 बीद्या 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 309 रकबा 2 बीद्या 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 2 बीद्या 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 9 बीद्या 15 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीद्या 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 124 रकबा 3.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 2.8000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.8300 हैक्टर अवस्थित ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने तथा उनका हिस्सा दुरूस्त करवाने हेतु उक्त वादपत्र को प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। जिसमें अधिकांश खातेदारान् में खातेदार छोटू सिंह दत्तक पुत्र दुर्जनशाल सिंह, बाल सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह, नाथू सिंह, धर्मपत्नि भँवर सिंह, कान सिंह पुत्र श्योनाथ सिंह, देवी सिंह पुत्र बालसिंह, नारायण सिंह पुत्र बाल सिंह, ... सिंह, राजेन्द्र सिंह वगैरा का फौत होना जाहिर होता है। ... खसरा नम्बरान् की प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बन्दोबस्त सम्वत् 2008 से 2027 से ही खातेदारान् का हिस्सा गलत दर्ज चले आना प्रकट होता है। जो वर्तमान में भी गलत ही चलें आना प्रकट होता है। जिसे प्रथम बन्दोबस्त से लेकर आदिनांक तक उक्त वादग्रस्त आराजी भूमियों में दर्ज खातेदारान् में से अधिकांश खातेदारान् के फौत हो जाने से उनके विधिक वारिसान् की पुनः जॉच की जाकर कोई विधिक वारिसान् खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं हो सके इस बाबत समस्त विधिक वारिसान् की पुनः जॉच कर जॉच कार्यवाही उपरान्त ही वादी व अन्य पक्षकारान् को उक्त वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराने 304 रकबा 1 बीद्या 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 306 रकबा 1 बीद्या 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 307 रकबा 3 बीद्या 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 3 बीद्या 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 309 रकबा 2 बीद्या 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 311 रकबा 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 312 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 124 रकबा 3.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 2.8000 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 5.8300 हैक्टर अवस्थित ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के खातेदारान् में से अधिकांश खातेदारान् के फौत हो जाने से उनके विधिक वारिसान् की पुनः जॉच की जाकर कोई विधिक वारिसान् खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं हो सके इस बाबत समस्त विधिक वारिसान् की पुनः जॉच कर जॉच कार्यवाही उपरान्त ही वादी व अन्य पक्षकारान् को उक्त वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु आख्यात्मक आदेश समझा जाकर उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.30 12:01:52 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/01/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)